जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर आयोजित

सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर के तत्वाधान मे लोहिया कला भवन सिद्धार्थनगर में मेगा/बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। मेगा/बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर कार्यक्रम में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय कुमार श्रीवास्तव तृतीय, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अरविन्द राय, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अखिलेश पाण्डेय के साथ मोहम्मद रफी अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या प्रथम, त्रिभुवन नाथ विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बीरेन्द्र कुमार अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, मनोज कुमार तिवारी अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय, सतीश कुमार त्रिपाठी अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश बाहय



न्यायालय बांसी, अनुभव कटियार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरुण कुमार-चतुर्थ सिविल जज सी0डि0, शैलेन्द्र नाथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वकील सिविल जज सी0डि0/एफ0टी0सी0, श्रीमती प्रियंवदा प्रियदर्शिनी सिविल जज जू0डि0 नौगढ़, उदयन कुमार गौतम सिविल जज जू0डि0 डुमरियागंज, धर्मेन्द्र कुमार भारती सिविल जज जू0डि0 बांसी, शिवेन्द्र शर्मा अपर सिविल जज जू0डि0 कक्ष सं0 2, आदेश कुमार श्रीवास्तव अपर सिविल जज जू0डि0 कक्ष सं0 1, श्रेय कुमार वर्मा सिविल जज जू0डि0/एफ0टी0सी0 प्रथम, बलराम सिंह मुख्य विकास अधिकारी, दिव्य प्रकाश शुक्ल अध्यक्ष सिविल सिद्धार्थ बार एसोशिएशन, अश्वनी कुमार मिश्र चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल, अशोक कुमार असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल, एह मेशामुददीन असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल उपस्थित रहे।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विभागों, जिनके अन्तर्गत निर्बल वर्ग, दिव्यांग बच्चों, स्त्रियों, निर्धन वर्ग, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक तथा अनुसूचित जनजाति हेतु जनकल्याणकारी योजनायें प्रचलित है या विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों व कर्तव्यों के अन्तर्गत आती है, उन्हें प्राधिकरण के उद्देश्यों एवं कर्तव्यों के अनुरूप उक्त मेगा शिविर में सम्मिलित लाभार्थियों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाना एवं त्वरित परामर्श उपलब्ध कराना है।

कार्यक्रम में दौरान दिव्यांगजनों को कान की मशीन, पांच दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन प्रमाण पत्र तथा दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल, पिछडा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित ओ-लेवल कम्प्यूटर कोर्स के छात्रों को ओ-लेवल सर्टिफिकेट, तहसील नौगढ, बांसी, इटवा के स्वामित्व (घरौनी) योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, माननीय मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र (सांकेतिक चेक), समाज कल्याण विभाग के वृद्धापेंशन लाभार्थियों को प्रणाम पत्र, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत ऋण योजना का प्रमाण पत्र, तहसील शोहरतगढ़ के आपदा बाढ़ राहत का प्रमाण पत्र, डूडा विभाग के लाभार्थियों को पी0एम0 स्वनिधि योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, मत्स्य विभाग के मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, निषाद राज वोट योजना, मत्स्य पालक कल्याण कोष-कोर्स मोपेड विथ आइस बॉक्स योजना सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना हेतु प्रमाण पत्र वितरित किया गया।उक्त की जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(शैलेन्द्र नाथ के द्वारा दी गई।

दीपावली पर्व को लेकर पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न

शोहरतगढ़/सिद्धार्थनगर। आगामी लक्ष्मी पूजा और दीपावली पर्व को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए शोहरतगढ़ थाना सभागार में



पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रभारी निरीक्षक शेषमणि पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संभ्रांत नागरिकों, मूर्ति आयोजकों, डीजे संचालकों और पटाखा कारोबारियों ने भाग लिया। प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि सभी लोग आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं। आयोजक प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और डीजे निर्धारित मानकों के अनुरूप ही बजाएं। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने, सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री प्रसारित न करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।

चेयरमैन प्रतिनिधि रवि अग्रवाल ने डीजे संचालकों से कम आवाज में डीजे बजाने की अपील करते हुए कहा कि त्योहार खुशी और भाईचारे का अवसर है।

सभी सरकार और प्रशासन के निर्देशों का पालन कर सहयोग करें। पुलिस ने मूर्ति आयोजकों को निर्धारित मार्ग व नियमों का पालन करने तथा पटाखा दुकानदारों को सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के निर्देश दिये। इस दौरान अल्ताफ हुसैन, राजकुमार मोदनवाल, वकील खान, मनोज चौधरी, मोहम्मद अतीक, रामअदालत, शिवरतन कन्नौजिया, शक्ति यादव, निलेश, राहुल, राजेश यादव, बीरेंद्र गौड़ सहित निरीक्षक अतिउल्लाह अंसारी, एसआई शशि शेखर सिंह, हेड कांस्टेबल प्रभाकर यादव, हेड कांस्टेबल दिनेश यादव व दीवान रोशन अली मौजूद रहे।

इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील ईकाई शोहरतगढ़ की बैठक सम्पन्न

शोहरतगढ़/सिद्धार्थनगर। आदर्श नगर पंचायत शोहरतगढ़ के इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील ईकाई शोहरतगढ़ के कार्यालय पर रविवार 01 बजे मासिक बैठक सहित संगठन कार्ड वितरण जिला उपाध्यक्ष सरताज



आलम व तहसील अध्यक्ष पियूष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। वहीं बैठक में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील ईकाई शोहरतगढ़ के सदस्यों में संगठन कार्ड वितरित किया गया। बैठक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष सरताज आलम ने कहा कि पत्रकारिता की गरिमा एवं सुरक्षा निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहिए। पत्रकारिता में यदि सच व स्पष्ट लेख है तो पत्रकार का गरिमा बना रहेगा। पत्रकार कानून का चौथा स्तम्भ है, पत्रकारों द्वारा समाज में हो रहे अच्छाई व बुराई की अपने लेख के बल पर कानून, नागरिक, शासन व प्रशासन का आंख खोलता है। अध्यक्ष पियूष सिंह ने कहा कि संगठन लगातार पत्रकार हितों के लिए संघर्ष करता रहा है। पत्रकार अपनी लेखनी और कार्यशैली को बेहतर रखे तो उसे हमेशा सम्मान मिलेगा। हमें अपनी लेखनी को प्रभावी और तथ्यों से पूर्ण बनाने की जरूरत है। उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने कहा कि अच्छा लिखने वालों का हमेशा प्रभाव और सम्मान रहा है। ऐसे में जरूरत है कि हम अपनी लेखनी को हर दिन बेहतर करने की दिशा में कार्य करें।

संरक्षक व वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए एक-एक व्यक्ति को इस घटना को गम्भीरता से लेना चाहिए। यदि देश में लोकतन्त्र और संविधान के लिए लेशमात्र जगह भी बची है। वहीं बैठक में पत्रकारों द्वारा अन्य मुद्दों पर चर्चा किया गया और संगठन के सदस्यता अभियान में सदस्यता को लेकर अन्य पत्रकारों की सदस्यता हेतु पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान तहसील महामंत्री कमलेश मिश्रा, कोषाध्यक्ष शरतेन्दु त्रिपाठी, संजय मिश्रा, प्रदीप उपाध्याय, वकील खान, अशरफ अंसारी, अशोक दूबे, अभिषेक शुक्ला, इसरार हुसैन, पंकज गुप्ता, अभिताब श्रीवास्तव, विवेक उपाध्याय, शिवरक्षा मिश्रा, धर्मेश श्रीवास्तव, अवधेश त्रिपाठी, प्रेम चन्द्र गौड़, सुग्रीम यादव, राकेश बाबा, इन्द्रेश तिवारी, प्रेम शंकर गुप्ता, दुर्गेश गुप्ता, वसीम अख्तर सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहें।

आपराधिक न्याय व्यवस्था में फॉरेंसिक साइंस की भूमिका महत्वपूर्ण

उसका बाजार सिद्धार्थनगर। रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिद्धार्थनगर के तत्वावधान में लोहिया कला भवन, सिद्धार्थनगर में आपराधिक न्यायशास्त्र में फॉरेंसिक विज्ञान की भूमिका विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिद्धार्थनगर अजय कुमार श्रीवास्तव-तृतीय की अध्यक्षता में किया गया।

कार्यशाला में फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र के विशेषज्ञ वक्ताओं के रूप में प्रो. (डॉ.) आदर्श कुमार, निदेशक, डॉ. अजय कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक एवं डॉ. उदय प्रताप सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों की सहभागिता रही।कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य न्यायिक एवं प्रशासनिक तंत्र से जुड़े अधिकारियों को फॉरेंसिक विज्ञान की आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक साक्ष्यों के महत्व तथा आपराधिक न्याय प्रणाली में उनकी उपयोगिता के संबंध में व्यावहारिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान करना रहा। कार्यक्रम में विशेषज्ञ



वक्ताओं द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि वर्तमान समय में आपराधिक मामलों की विवेचना एवं न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में वैज्ञानिक साक्ष्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। कार्यशाला के प्रथम सत्र में प्रो. (डॉ.) आदर्श कुमार, निदेशक द्वारा द थ्री न्यू क्रिमिनल लॉ एंड द इन्हेस रोल ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड साइंस इन दि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विषय पर विस्तृत एवं ज्ञानवर्धक व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों तथा नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में फॉरेंसिक विज्ञान एवं फॉरेंसिक मेडिसिन की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गंभीर अपराधों की विवेचना में वैज्ञानिक पद्धति एवं फॉरेंसिक साक्ष्यों का उपयोग किस प्रकार विवेचना को अधिक विश्वसनीय एवं तथ्यपरक बनाने में सहायक होता है। साथ ही, वैज्ञानिक साक्ष्यों के उचित संकलन, परीक्षण एवं विश्लेषण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।कार्यशाला के द्वितीय सत्र में डॉ. अजय कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक द्वारा फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स एंड क्राइम सींस मैनेजमेंट विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स के विभिन्न पहलुओं, आग्नेयास्त्रों एवं उनसे संबंधित साक्ष्यों के वैज्ञानिक परीक्षण तथा घटनास्थल के प्रबंधन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी आपराधिक घटना के पश्चात घटनास्थल को सुरक्षित रखना, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ रोकना, साक्ष्यों का विधिवत संकलन एवं उनका सुरक्षित संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। घटनास्थल से प्राप्त छोटे से छोटा साक्ष्य भी विवेचना की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने साक्ष्यों की अभिरक्षा श्रृंखला बनाए रखने के महत्व को भी विस्तार से समझाया।कार्यशाला के तृतीय और समापन सत्र में डॉ. उदय प्रताप सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा एसफिशलद्य डेथ विषय पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया गया।

जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के साथ-साथ न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा।

इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यायिक एवं विधिक सेवा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आमजन को निष्पक्ष एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।कार्यक्रम के माध्यम से फॉरेंसिक विज्ञान के व्यावहारिक एवं विधिक पहलुओं को समझने तथा आपराधिक न्याय व्यवस्था में वैज्ञानिक साक्ष्यों के प्रभावी उपयोग के प्रति जागरूकता विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ।।

जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता सूची जारी करने की मांग

सेमरियावां, संतकबीरनगर। जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के अनेक पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं। इसके बावजूद पिछले 17 वर्षों से प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति नहीं होने से शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत शिक्षक लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।इस संबंध में अंबिका देवी यादव और केसी सिंह ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्रक सौंपकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए शीघ्र ज्येष्ठता सूची जारी करने तथा प्रमोशन प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की है।

शिक्षकों ने बताया कि सचिव, बेसिक शिक्षा के निर्देशानुसार परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों की पदोन्नति के लिए 23 अक्टूबर 2026 तक ज्येष्ठता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना निर्धारित था। इसके क्रम में जनपद के कुछ विकासखंडों में प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की अनंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर आपत्तियां मांगी जा रही हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारण को लेकर अभी तक जिला स्तर से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि आसपास के जनपदों सहित प्रदेश के अन्य जिलों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची के अनंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही है, जबकि संतकबीरनगर में इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कई पद रिक्त होने के बावजूद लंबे समय से पदोन्नति नहीं होने से संबंधित शिक्षकों में असंतोष है।

शिक्षकों ने मांग की है कि प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता निर्धारित कर वरिष्ठता सूची शीघ्र प्रकाशित की जाए, ताकि रिक्त प्रधानाध्यापक पदों पर नियमानुसार पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो सके।

इस मांग का समर्थन करने वालों में अंबिका देवी यादव, केसी सिंह, जफीर अली, जयभान चौधरी, मोहम्मद आजम, मोहम्मद शोएब अख्तर, अरुण कुमार यादव, वीरेंद्र कुमार चौधरी, उदय प्रताप यादव, विपिन कुमार वर्मा, राज कुमार शुक्ला, रामकरन पासवान, प्रमोद कुमार पाठक, अब्दुल रसीद, रामसरन यादव, अखिलेश चंद, सुहेल अहमद, इजहार अहमद सहित अन्य शिक्षक शामिल हैं।

50वां जश्ने दसतारबनदी का आयोजन

बढ़नी/ सिद्धार्थनगर। स्थानीय उपनगर बढ़नी स्थित मदरसा जामिया अहले सुन्नत इशातुल इस्लाम बढ़नी में 50वां जश्ने दसतारबनदी का आयोजन सम्पन्न हुआ जिससे



लगभग 96 बच्चों का दस्तार हुआ। और पगड़ी पहनाई गयी। बताया जाता है कि मदरसा जामिया अहले सुन्नत इशातुल इस्लाम में 31अकटूबर को 50वां दस्तारबंदी का आयोजन किया गया जिसमें मशहूर धर्मगुरूओं,जाने माने शायर को आमंत्रित किया गया था। बताया जाता है कि उक्त आयोजन में लगभग 96 बच्चों का दस्तार हुआ।और पगड़ी पहनाई गयी ।कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने छात्रों से एक बेहतर समाज निर्माण करने की अपील करते हुए शुभकामनाएं दी।इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नौशाद आलम,जमील अहमद, उग्रसेन सिंह, प्रबंधक अब्दुल कयूम, सिकेटरी निजाम अहमद,नायब बिकेटरी मोहम्मद इब्राहिम, प्रधानाचार्य मोहम्मद दाऊद, कमाल अहमद,लिपिक इमरान अंसारी, मास्टर मुस्तफा, मकबूल अहमद , मसूद आलम आदि उपस्थित रहे।

सरदार पटेल जयंती पर निकला रोड शो

संतकबीरनगर। लौह पुरुष एवं देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर शनिवार को संतकबीरनगर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में अपना दल एस के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रोहित पटेल की अगुवाई में विशाल रोड शो निकाला गया। रोड शो का शुभारंभ हीरालाल डिग्री कॉलेज से हुआ। यहां से निकला रोड शो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मेंहदावल बाईपास तक पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों ने हिस्सा लिया। हाथों में झंडे और सरदार पटेल के सम्मान में लगाए जा रहे नारों से पूरा शहर गूंज उठा। जगह-जगह लोगों ने रोड शो का स्वागत भी किया।इस अवसर पर रोहित पटेल ने सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके विचार आज भी समाज को एकजुट रहने की प्रेरणा देते हैं।रोड शो का समापन मेंहदावल बाईपास स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान सरदार पटेल और बाबा साहब के विचारों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर रमेश चौधरी, चंद्रशेखर चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, पिंटू चौधरी, अंगद चौधरी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।

एडीएम की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

संतकबीरनगर। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में सड़क सुरक्षा समिति की विगत बैठकों में दिए गए निर्देशों की विभिन्न विभागों द्वारा अनुपालन आख्या एवं कृत कार्यवाही की समीक्षा की गई।अपर जिलाधिकारी द्वारा एनएचएआई मार्ग के किनारे झाड़ियों की साफ-सफाई, पटरी मरम्मत, नाली मरम्मत एवं अवैध कट्स आदि के सम्बन्ध में सड़क सुरक्षा से संबंधित बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गयी। मार्ग के किनारों पर झाड़ियों के साफ सफाई के संबंध में एनएचएआई के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया। एनएचएआई मार्ग पर दुर्घटना आदि की स्थिति में एंबुलेंस एवं क्रेन की उपलब्धता के बारे में अपर जिलाधिकारी ने एनएचएआई प्रतिनिधि को जनपद में क्रेन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने परिवहन विभाग/यातायात पुलिस को निर्देश दिया कि सड़कों पर गलत साइड एवं नो-पार्किंग में खड़े वाहनों का नियमित तौर पर जांच कर चालान किया जाए तथा चालान किए गए वाहनों की संख्या को भी दर्शाया जाए। उन्होंने परिवहन एवं संबंधित पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद में अभियान चलाकर माल वाहक गाड़ियों के पीछे विशेष तौर पर ट्रैक्टर ट्राली के पीछे रिफलेक्टर रेडियम पट्टी लगाया जाए जिससे दुर्घटना होने की संभावनाओं से बचा जा सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद के मुख्य चौराहों पर यातायात के समुचित व्यवस्था हेतु ट्रैफिक लाईट की व्यवस्था करायी जाय तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सम्बंधित संकेतकों को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक ब्लैक स्पॉट पर टेबल टॉप रम्बल स्ट्रिप बनाया जाय एवं सीट बेल्ट व हेलमेट का पालन करने हेतु प्रचार-प्रसार किया जाय तथा सीट बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग न करने वालों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही एवं नियमानुसार चालान भी किया जाय। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त विभाग सड़क सुरक्षा सम्बंधित नियमों का पालन करने के दृष्टिगत आम नागरिकों को प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों से जागरूक करें। अपर जिलाधिकारी द्वारा परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया की जनपद के समस्त स्कूली वाहनों का शत प्रतिशत सत्यापन किया जाय, वाहनों की परमिट एवं फिटनेस की जांच एक निश्चित समय अंतराल पर की जाती रहे और समस्त अनफिट वाहनों का चालान कर बंद कराया जाए। उन्होंने कहा कि इसको गंभीरता से लिया जाए, किसी भी विद्यालय में एक भी अनफिट वाहन नहीं चलने चाहिए। उन्होंने कहां की जनपद में चल रहे 15 वर्ष से पुराने वाहनों का चिन्हीकरण करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

इस अवसर पर अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग आर.के. पांडेय, एआरटीओ प्रियंवदा सिंह, अधि. अधिकारी नगर पालिका अवधेश भारती, यातायात प्रभारी एवं एनएचएआई के प्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

जयंती पर याद किए गए लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल

सेमरियावां, संतकबीरनगर। विकास खंड सेमरियावां के पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय महुआरी में शनिवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार पटेल के योगदान को याद किया गया।कार्यक्रम के दौरान जिला स्काउट मास्टर मनोज कुमार अनिल ने सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल का जीवन साहस, दृढ़ इच्छाशक्ति, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रसेवा की प्रेरणादायक मिसाल है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आजादी के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूत बनाने में ऐतिहासिक योगदान दिया। इसी योगदान के कारण उन्हें देश का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने बच्चों को सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आपसी एकता, भाईचारे, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना अपनाने का संदेश दियाब्लॉक के सेमरियावां,बाघनगर,कांपारा,दुधारा, परसा,तिलजा,बजरहा,सालेहपुर आदि न्याय पंचायत में स्थित स्कूलों में जयंती मनाई गई।

विद्यार्थियों को देश के महापुरुषों के जीवन और उनके आदर्शों से परिचित होने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में जफीर अली,अब्दुर्रहीम,फूलचंद,राम निहोर,सुहेल अहमद,आशीष गौतम, कृष्णा राव,मो आजम,राजमुनी आनंद प्रकाश, बाबूलाल, पंकज कुशवाहा सहित विद्यालय के शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। इसके अलावा विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष मिथुन कुमार, उपाध्यक्ष श्रीमती अंजनी देवी तथा अन्य अभिभावकों ने भी सहभागिता की। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को सरदार वल्लभभाई पटेल के व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझने का अवसर मिला।

साइबर ठगी के शिकार युवक के वापस कराए 1.09 लाख रुपये

संतकबीरनगर द्य जिले में साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत मेंहदावल पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क टीम ने साइबर ठगी के शिकार एक व्यक्ति को राहत दिलाई है। पुलिस ने पीड़ित के खाते में 1,09,555.76 रुपये की धनराशि वापस कराई है।

पुलिस के अनुसार, मेंहदावल निवासी सुनील कुमार गुप्ता पुत्र रामदेव प्रसाद का मोबाइल हैक कर अज्ञात व्यक्ति ने उनके बैंक खाते से 3,98,000 रुपये की धोखाधड़ी की थी। पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत संख्या 33106260127934 के आधार पर मेंहदावल पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क टीम ने मामले में कार्रवाई शुरू की।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में आरक्षी संदीप कुमार गौतम, सौरभ कुमार और अमित कुमार ने संबंधित बैंक से संपर्क कर तकनीडुकी विश्लेषण के माध्यम से ठगी की धनराशि को होल्ड कराया। इसके बाद आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी कर 1,09,555.76 रुपये पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराए गए। अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा वापस मिलने पर पीड़ित ने पुलिस प्रशासन और साइबर टीम का आभार जताया।

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही www.cyber-crime.gov.in पर भी शिकायत की जा सकती है।

किसी अनजान व्यक्ति से ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम पिन और सीवीवी साझा न करें तथा संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।

मेगा विधिक सहायता व सेवा शिविर का आयोजन, सैकड़ों लाभान्वित

संतकबीर नगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में संतकबीर एकेडमी मगहर में मेगा/वृहद विधिक सहायता व सेवा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के सैकड़ों व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल ×8 विभाग ने प्रतिभाग किया।कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि मा0 जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह ने कहा कि न्याय केवल अदालतों तक सीमित न रहे बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के द्वार तक पहुंचे।

इसी पावन उद्देश्य के साथ यह शिविर आयोजित है।विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य केवल परामर्श देना नही, बल्कि सहायता पहुंचाना भी है। उन्होंने अपने कर कमलों से प्रमाण पत्र, चेक सहायता और किट वितरित किये।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के नोडल अधिकारी व अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट चंद्रमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि



न्याय केवल अदालतों तक सीमित न रहे। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके अमूल्य सहयोग की प्रशंसा किया। अपर जिला जज पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार ने कहा कि लाभार्थियों को उपस्थिति विभिन्न विभागों के सक्रियता का परिणाम है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने कार्यकम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए डायल 15100, लोक अदालत, प्री लिटिगेशन, मध्यस्थता, न्याय मार्ग एप के बारे में बताया।

उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिलना ही चाहिए।

मुख्य चिकित्साधिकारी रामानुज कन्नौजिया ने कहा कि विधिक सहायता तथा नागरिक सुरक्षा का समन्वय के प्रति न्यायालय व प्रशासन गंभीर है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व न्यायिक अधिकारी सुश्री अनन्या साह ने कहा कि न्याय सबके लिए, सहायता हर द्वार तक केवल नारा नही हमारा संकल्प है। उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।कार्यक्रम में मुख्य रुप से प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नासिर अली, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अजय कुमार त्रिपाठी, अपर जिला जज प्रथम गजेंद्र सिंह, अपर जिला जज एससीएसटी एक्ट चंद्र मोहन श्रीवास्तव, अपर जिला जज पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार, अपर जिला जज फास्ट ट्रैक द्वितीय दिव्यानंद, अपर जिला जज फास्ट ट्रैक प्रथम सुनील कुमार सिंह, सीजेएम चेतना त्यागी, सिविल जज सीनियर डिवीजन संजय राज पांडेय,सिविल जज जूनियर डिवीजन अशोक कसौधन, जिला विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी रुक्मणी वर्मा सहित पुलिस तथा विभिन्न विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण, पात्र लाभार्थी, स्कूली ब'चे आदि उपस्थित रहे।